XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1107–दो/07 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 2510–पीबीआर/2000 में पारित आदेश दिनांक 29–3–07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । आवेदक सूचित हों । सदस्य	

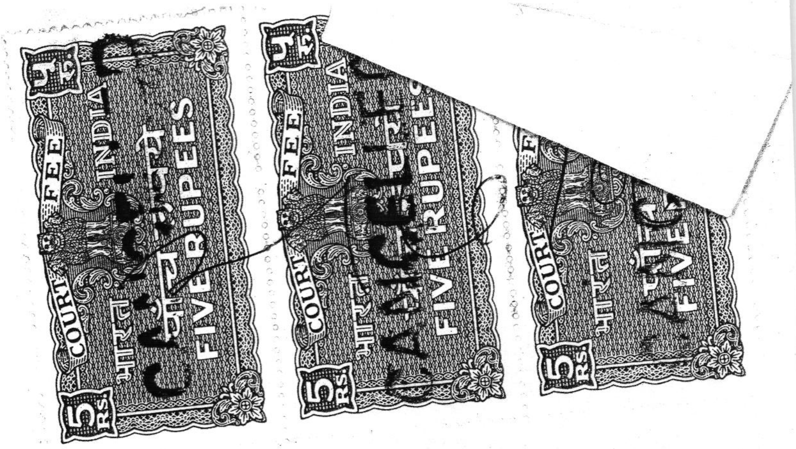

न्यायलयमाननीय राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००७ पुनरावलोकन (रिव्यू)

Rev-1107-II/07

१। नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री हरिचरण
२। महेशकुमार पुत्र श्री हरिचरण
निवासीगण ग्राम शाढौरा, तहसील
व जिला अशोकनगर,म०प्र० -- प्रार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि० 2-7-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

१। मधुसूदन पुत्र श्री नाथूलाल भार्गव
२। फूलकला पुत्री श्री नाथूलाल भार्गव
३। पुष्पाबाई पुत्री श्री भैयालाल
निवासीगण ग्राम शाढौरा, तहसील
व जिला अशोकनगर, म०प्र०
४। म०प्र० शासन
-- प्रतिप्रार्थीगण

2/6/06

पुनरावलोकन आवेदन पत्र विरुद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर (डा० जे०पी० एक्का) दि० २६-०३-०७ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता,१९५९ प्रकरण क्रमांक 2590 PBR/2000 निगरानी।